Spraying Systems Co.®

North Avenue and Schmale Road, P.O. Box 7900
Wheaton, IL 60187-7901 USA
Phone: 630.665.5000 **Fax:** 630.260.0842
spray.com

नीतियों और कार्यविधियों की नियमावली

मानव तस्करी नीति

Spraying Systems Co. मानती है कि अपनी ओर से काम करने वाले सभी कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्टर्स और तृतीय पक्षों को नैतिक रोज़गार विकल्पों से संबंधित मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए। इस नीति में जबरन श्रम और यौन शोषण के लिए मानव तस्करी के खिलाफ़ सुरक्षाएं बताई गई हैं।

यह नीति सभी स्थानों पर Spraying Systems के सभी कर्मचारियों पर लागू होती हैं, इनमें वे स्थान भी शामिल हैं जो लागू संघीय और स्थानीय मानव तस्करी के कानूनों, नियमों और विनियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

Spraying Systems Co., कर्मचारियों, सब-कॉन्ट्रैक्टर्स, सब-कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारियों और एजेंट को मानव-तस्करी से संबंधित गतिविधियों में लिप्त होने से कठोरता से रोकती है। इन गतिविधियों में यौन शोषण के लिए मानव तस्करी, व्यावसायिक रूप से यौन गतिविधियां करवाना (भले ही यह करवाना उस क्षेत्राधिकार में कानूनी हो, जहां यह होती है), व्यक्ति की अनिच्छा से गुलामी करवाने के लिए उस पर बल, छल या जबर्दस्ती का प्रयोग करना, या व्यक्ति या किसी और व्यक्ति, उनमें से किसी भी व्यक्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर उस व्यक्ति से मजदूरी करवाना शामिल है।

Spraying Systems Co., कर्मचारियों, सब-कॉन्ट्रैक्टर्स, सब-कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारियों और एजेंट को स्वतः भी तस्करी से संबंधित गतिविधियों में लिप्त होने से रोकती है, जिसमें ये शामिल हैं:

वेतन रोक कर रखना;

कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए भ्रामक या कपटपूर्ण गतिविधियों का इस्तेमाल करना, जैसे कि रोज़गार की मुख्य शर्तें और नियम जाहिर न करना;

ऐसे नियुक्तिकर्ता का इस्तेमाल करना, जो स्थानीय श्रम कानूनों का अनुपालन न करता हो और

जहां कानून के अनुसार ज़रूरी होने पर भी रोज़गार अनुबंध या कार्य संबंधी दस्तावेज़ प्रदान न करता हो।

Spraying Systems Co. संचालन कंपनियां, इन नियमों के उल्लंघन के लिए उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कर्मचारियों, सब-कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंट को कार्यमुक्त तक करना शामिल है।

Spraying Systems Co. की संचालन कंपनियों को ऐसे उल्लंघनों से संबंधित परीक्षण या जांच में अमेरिकी सरकार या अन्य उचित सरकारी प्राधिकारों का पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। इस नीति के तहत, Spraying Systems Co. संचालन कंपनियों के कर्मचारियों को संदिग्ध गलत कार्य की किसी भी आंतरिक या बाहरी जांच में सहयोग करना ज़रूरी है।

शिकायत करने के लिए अनिवार्य आवश्यकताएँ उन सभी देशों में, जहां स्थानीय कानून और नियम यह अनुमति देते हैं कि जिन कर्मचारियों को इस नीति के वास्तविक या संभावित उल्लंघनों के बारे में प्रामाणिक जानकारी है,

North Avenue and Schmale Road, P.O. Box 7900
Wheaton, IL 60187-7901 USA
Phone: 630.665.5000 **Fax:** 630.260.0842
spray.com

तो उन्हें Spraying Systems Co. की मुखबिर नीति के अनुसार तुरंत शिकायत करनी चाहिए। बिना समय गंवाये, किसी भी संदिग्ध उल्लंघन की शिकायत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उल्लंघनों की प्रामाणिक जानकारी होने पर शिकायत करने के संबंध में अमेरिकी सरकार के कड़े नियम हैं। कर्मचारियों को एक सुरक्षित जांच प्रक्रिया शुरू करने के लिए वीटन, आईएल के मुख्यालय में स्थित कंपनी के मानव संसाधन विभाग में उल्लंघनों की शिकायत करनी चाहिए। सभी शिकायतों को कानून द्वारा अनुमत सीमा तक गोपनीय रूप से हल किया जाएगा।
इस नीति के अंतर्गत शामिल किए गए सभी से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे एक पूर्ण और उचित जांच के लिए शिकायत किए गए उल्लंघन के बारे में पर्याप्त जानकारी दें। घटना में शामिल लोगों के नाम

(या घटना के गवाह), घटना(ओं) का लगभग या सटीक दिनांक और समय, घटना की जगह और व्यक्ति को क्यों लगता है कि घटना की शिकायत की जानी चाहिए, इस बारे में जानकारी देना ज़रूरी है।

उल्लंघनों की सभी शिकायतों की तुरंत और अच्छी तरह से जांच की जाएगी, और जांच के दौरान दी गई सभी जानकारी को तब तक गोपनीय रखा जाएगा, जब तक कि ऐसा करना जांच करने के लिए ज़रूरी न हो और लागू कानून, नियमों और विनियमों के अनुसार कोई भी प्रतिकारक कार्रवाई की जाएगी।

सभी कार्मिकों (कर्मचारी, पर्यवेक्षक, कॉन्ट्रैक्टर्स आदि) का कर्तव्य है कि वे जांच प्रक्रिया में सहयोग करें। यदि कोई कार्मिक जांच में सहयोग नहीं करता है या जांच के दौरान जानबूझकर गलत जानकारी देता है, तो उसके खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई जाएगी, जिसमें उसे नौकरी से निकाला भी जा सकता है।

प्रतिशोध

Spraying Systems Co. उस किसी भी कर्मचारी के खिलाफ़ प्रतिशोध को रोकता है, जो नेकनीयत से कथित उल्लंघन की शिकायत करता है या जांच में भाग लेता है। संदिग्ध प्रतिशोध की शिकायत तुरंत मानव संसाधन से की जानी चाहिए।

प्रतिशोध के उदाहरण में ये शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, जैसे नियुक्ति या तरक्की की अवसर न देना, धमकी देना या फटकारना, कार्यप्रदर्शन का नकारात्मक मूल्यांकन करना और नौकरी के लिए नकारात्मक रूप से संदर्भ देना।

कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर हो, जिसे कंपनी ने नियुक्त किया है, अगर वह प्रतिशोध के व्यवहार में लिप्त पाया जाता है, तो उसे दंड दिया जाएगा, जिसमें उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है।

उल्लंघनों की किसी भी शिकायतों को जांच प्रक्रिया के दौरान उसी तरह माना जाएगा, जैसे वे नेकनीयत से की गई हों। अगर जांच प्रक्रिया से यह तय होता है कि शिकायत बुरी नीयत से की गई है, तो शिकायत करने वाले कार्मिक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है और उसे वह पैसे भी चुकाने पड़ सकते हैं, जो जांच प्रक्रिया पूरी करने के लिए कंपनी ने खर्च किए हैं।